न्यायालय अतिरिक्त राजस्वीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 /2026 अनवान जयन्तिलाल बनाम महेन्द्र वगैरा

दिनांक 12. .03.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा (जालोर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 49/2024 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0–प्रार्थी–महेन्द्र पुत्र खंगाराम मेघवाल वगैरा ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील रानीवाडा के ग्राम दईपुर स्थित प्रार्थी की नवीन खसरा नम्बर 826 एवं अप्रार्थी सं0 1 से 4 के ख0नं0 824 व अप्रार्थी सं0 5 के ख0नं0 825 तथा अप्रार्थी सं0 6 से 9 के ख0नं0 827 की माठ की पैमाईश हेतु राजस्व कार्मिकों की कमेटी गठित कर पैमाईश कर, प्रार्थी के ख0नं0 826 की सीमा पर सीमांकन कर, पत्थरगढी करवाने का आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–अप्रार्थी सं0 6 से 9–जयंन्तिलाल पुत्र भावा मेघवाल ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट श्री लाधुराम पूनिया व रविना लामरोड एवं रेस्पो0सं0 12 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थी ग्राम दईपुर के खसरा नम्बर 827 की भूमि के खातेदार काश्तकार है। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं0 1 से 3–प्रार्थी–महेन्द्र वगैरा के खातेदारी ख0नं0 826 के मध्य पुरानी सैटलमेंट के समय की माठ आई हुई है, जो आज भी कायम है। अपीलाधीन आदेश की आड में प्रत्यथी सं0 1 से 3–प्रार्थी अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में जबरन कब्जे पर उतारू है, जिससे उन्हें अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। आलौच्य प्रकरण में अपीलांट–अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब में यह अभिकथन किया था कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 से 5 के पुराने ख0नं0 397 रकबा 19 बीघा 08 बिस्वा के द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नवीन ख0नं0 824, 825 व 826 सृजित किए गये। जिसमें भूलवश प्रार्थी के ख0नं0 826 का रकबा 0.10 हैक्टर अधिक दर्ज कर दिया गया तथा अप्रार्थी सं0 6 से 9–अपीलार्थी के ख0नं0 827 का रकबा 2.16 हैक्टर दर्ज किया गया, जिसमें 0.11 हैक्टर रकबा कम दर्ज कर दिया गया। प्रत्यथी सं0 1 से 3–प्रार्थी

अतिरिक्त राजस्वीय आयुक्त
जोधपुर

इसका फायदा उठाकर इसे सीमा विवाद बताते हुए, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया, जो निरस्त किया जावे। द्वितीय सेटलमेंट की भूल सुधार हेतु सक्षम न्यायालय में दावा विचाराधीन रहते विचाराधीन कार्यवाही निरस्तनीय है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से सीमाज्ञान रिपोर्ट मंगवाकर कोई जांच अपनी देखरेख में करवाये बिना तहसीलदार रानीवाडा को पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित कर दिया गया। अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब के कम में पुराने एवं नवीन सेटलमेंट की तुलनात्मक जांच रिपोर्ट पत्रावली पर लिए बिना तथा मौका कब्जा का साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही कर दी गई। जो न्याय एवं विधिक सिद्धांतों के विरूद्ध है। मौका जांच पैमाईश रिपोर्ट तलब किए बिना पत्थरगढी का आदेश विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट के जवाब प्रार्थना पत्र में उठाये गये उजर को साक्ष्य सबूत द्वारा तय करना चाहिए था। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में अपीलाधीन आदेश विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है अपीलाधीन आदेश में अपीलांट–अप्रार्थी सं0 6 से 9 की ओर से प्रस्तुत जवाब के संदर्भ में तहसीलदार रानीवाडा से वस्तुस्थिति /रेकर्डेड रिपोर्ट प्राप्त किए बिना अथवा कोई विश्लेषण नही किया गया है। अपीलाधीन आदेश में मात्र प्रार्थीगण की खातेदारी व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की आराजी के बीच हेक्टेयर की खातेदारी आराजी के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत होने का उल्लेख किया गया है। जबकि उक्त प्रकरण में माठ वादग्रस्त होने के कारणों का उल्लेख करना न्यायोचित आदेश का आधार है। अतः न्यायहित में उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा (जालोर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 49/2024 बअनवान महेन्द्र वगैरा बनाम जेरा वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2026 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

हेतु अपीलांट एवं रेस्पो० तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान की सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार रानीवाडा से अपीलांट–अप्रार्थीसं० 6 से 9 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संदर्भ रेकर्डेड रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 12-3-26 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

12/3/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर